पत्रांकः– वन भूमि–64/2018...../प०व०

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002

पटना–15, दिनांक.....

विषय :– जमुई जिलान्तर्गत NH-333 कोरवाटोला–बामदा–बिसनपुर झारखंड सीमा तक (115.00–141.050 कि०मी०) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 23.45 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय, मु० मुंगेर द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–190 (ई०) दिनांक–16.02.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अपयोजित होने वाली कुल वनभूमि 23.45 हे० एवं 1093 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०सं०	पातित होने वाले वृक्षों की संख्या	
	60 CM तक	60 CM से अधिक
1	35	1058

प्रस्तुत प्रस्ताव का वानस्पतिक घनत्व 0.3 अंकित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा निर्गत कुल–23.45 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के लिए FRA, 2006 प्रमाण–पत्र मूल रूप में संलग्न है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल–23.45 हे० अपयोजित होने वाले वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 46.90 हे० अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, जमुई के जमुई प्रक्षेत्र अंतर्गत जरूआडीह मुरीयाडीह PF को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त की गयी है, जो संलग्न प्रेषित है।

क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण–पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

2. 23.45 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 1,46,79,700/–(एक करोड़ छियालीस लाख उनासी हजार सात सौ रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

3. MoEF&CC, नई दिल्ली के पत्रांक–11–42/2017–FC दिनांक–29.01.2018 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन वर्ष 2018 में करने के कारण Panel NPV मद में NPV मद की 20% राशि एवं 12% ब्याज के साथ कुल रू० 32,88,253/–(बत्तीस लाख अठासी हजार दो सौ तीरपन रूपये) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

4. अपयोजित होने वाली 23.45 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए जमुई वन प्रमंडलन्तर्गत 46.90 हे० अवकृष्ट वन भूमि जरूआडीह मुरीयाडीय सुरक्षित वन चिन्हित करते हुए रू० 1,05,36,608/–(एक करोड़ पाँच लाख छतीस हजार छः सौ आठ रूपये) मात्र प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

6. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर यथासम्भव 60 से०मी० तक के पौधों को Translocate किया जायेगा।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदभ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–

(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–64/2018................../प०व०, पटना–15, दिनांक..

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय, मु० मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–64/2018..1154(ई)/प०व०, पटना–15, दिनांक..15/10/18..........

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

15/10/18

(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

VR S One-6